UPKN010065462026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2226/2026

आदित्य मिश्रा उम्र 23 वर्ष पुत्र श्री कपिल मिश्रा, निवासी म0न0 137/2 योगेन्द्र विहार खाडेपुर थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर।

...... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

..... विपक्षी

मु0अ0सं0—154/2026
धारा—304(2), 317(2) बी0एन0एस0
थाना—बिधनू, कानपुर नगर

08.06.2026

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त आदित्य मिश्रा की ओर से मुकदमा अपराध सं0 154/2026 धारा 304(2), 317(2) बी0एन0एस0 थाना बिधनू, कानपुर नगर में जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.2026 समय लगभग 10.40 मिनट रात को वादी रोहित सिंह सम्भुवा पुल के पास खड़ा होकर सवारी का इंतजार कर रहा था तभी एक आटो मे चार लोग आए तथा उसका बैग छीन कर भाग गए, भागते समय उसने आटो का नंबर यूपी 78 एलएन 8665 देखा था। उसके बैग मे लगभग 2700/—रू0, उसके दो मोबाइल रेडमी व सैमसंग, आवश्यक डाकूमेंट, आधार कार्ड, एटीएम, पैनकार्ड आदि थे।
3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना बिधनू, कानपुर नगर पर दिनांक 25.05.2026 को अ0स0 154/2026 धारा 304(2) बी0एन0एस0 आटो न0 यूपी 78 एलएन 8665 मे सवार चार अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।
4. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए यह कहा गया है कि उसे झूठा आरोपित किया गया है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नहीं है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 23 घंटे विलम्ब से अंकित करायी गयी है जो घटना को संदिग्ध बनाती है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र चश्मदीद साक्षी नहीं है। अभियुक्त आटो चालक है उसके पास से जो भी बरामदगी दिखायी गयी है वह फर्जी है तथा उसकी दिन भर की किराये मे प्राप्त धनराशि है। अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से जेल मे निरूद्ध है, अतः जमानत स्वीकार की जाए।
5. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना

पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का बैग छीन लिया गया जिसमे पैसे, मोबाइल व अन्य प्रपत्र थे। दिनांक 26.05.2026 को अभियुक्त को आटो सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 700/—रू0 व वादी मुकदमा का आधार कार्ड बरामद किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. उभय पक्ष के तर्को को विस्तार से सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

7. दौरान विवेचना दिनांक 26.05.2026 को उ0नि0 अनुराग सिंह व हमराही पुलिसकर्मियों द्वारा अभियुक्त को आटो सं0 यूपी 78 एनएल 8665 सहित गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से 700/—रू0 व वादी मुकदमा का आधार कार्ड बरामद किया गया है।

8. अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा का बैग छीन लेने का कथानक है जिसमे पैसे, मोबाइल व अन्य प्रपत्र थे। अभियुक्त को गिरफ्तार किए जाने पर उसके कब्जे से 700/—रू0 व वादी मुकदमा का आधार कार्ड बरामद किया गया है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्त दिनांक 26.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा मे है।

9. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रकरण के गुण—दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना आवेदक/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

10. आवेदक/अभियुक्त आदित्य मिश्रा का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0 30,000/—(तीस हजार) रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

11. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र अथवा मूल पत्रावली मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

12. आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर नगर को जरिए ई—मेल इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाए कि आदेश का इन्द्राज e-prison software मे करें और यदि 7 दिन के अन्दर अभियुक्त रिहा नहीं होता है तो उसकी सूचना सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रदान करें। इसके अलावा यदि अभियुक्त आदेश पारित होने के एक माह तक रिहा नहीं होता है तो इसकी सूचना संबंधित न्यायालय, जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया, को अविलम्ब प्रेषित करें।

(सपना त्रिपाठी-I)
आई.डी. यू.पी.6103
प्रभारी सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1,
कानपुर नगर।

दिनांकः 08.06.2026
अनिल

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.06.08 16:58:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court